

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या – 41/2012/नागौर
 संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या – 42/2012/नागौर
 मैसर्स बिडला दाल मिल्स
 मेडला सिटी, नागौर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
 वृत नागौर

श्री ओ.पी.माहेश्वरी
 सी.ए.
 श्री जमील जई
 उप राजकीय अभिभाषक

श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपरिथतः

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : १४.११.२०१५

निर्णय

ये दोनों संशोधन प्रार्थना पत्र राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत राजस्थान बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 1051/2011/नागौर एवं 2271/2011/नागौर वाणिज्यिक कर अधिकारी,वृत नागौर बनाम मैसर्स बिडला दाल मिल्स,मेडला सिटी, नागौर में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2012 में संशोधन हेतु अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त दोनों संशोधन प्रार्थना पत्र एक व्यवहारी से सम्बन्धित हैं तथा निहित बिन्दु एक समान है इसलिए इनका निर्णय एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियों पृथक—पृथक रूप से पत्रावलियों पर रखी जावे।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी मूल रूप से दालों का निर्माता है। निर्माण में राष्ट्रीय दालों का कच्चे भाल के रूप में उपयोग किया जाता है। वाणिज्यिक कर अधिकारी,वृत-नागौर(जिसे आगे 'कर निधिरण अधिकारी' कहा जाया है) ने जांच करने पर पाया कि अलोच्य अवधि वर्ष 2007-08 में प्रत्यर्थी व्यवहारी ने 4 प्रतिशत की दर से वेट चुकाकर कच्चे भाल की खरीद की तथा इस प्रकार से की गई खरीद पर इसी प्रकार अलोच्य अवधि वर्ष 2008-09 में प्रत्यर्थी व्यवहारी ने 4 प्रतिशत की दर से वेट चुकाकर कच्चे भाल दाल की खरीद की तथा इस प्रकार से की गई खरीद पर रु. 71,337/- – इनपुट टैक्स केडिट का कलेम किया। कर निधिरण अधिकारी के अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दाल एवं चूरी का निर्माण किया जाता है जिसमें चूरी पशु आहार होने से कर मुक्त है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा चूरी के निर्माण में प्रयुक्त दाल पर आलोच्य अवधियों में कमशः रु. 3,91,347/- एवं रु. 28,04,882/- का इनपुट टैक्स केडिट का वलेम किया। कर निधिरण अधिकारी ने द्वारा इस प्रकार से दालेम की गई इनपुट टैक्स केडिट की राशि रु. 3,91,347/- में से रु. 1,31,389/-

एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट राशि रु. 28,04,882/-में से रु. 71,337/-को इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स कर दिया क्योंकि चूरी के निर्माण में दाल का उपयोग किया गया है तथा चूरी कर मुक्त वस्तु है। उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स किये जाने के विरुद्ध प्रत्यक्ष व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने पृथक-पृथक आदेश दिनांक 08.12.2010 एवं दिनांक 01.07.2011 को आदेश पारित कर रिवर्स टैक्स रु. 1,31,389/- उस पर आरोपित ब्याज रु. 46,652/- तथा रु. 71,337/- को अपारत कर अपीलें स्वीकार की, जिनके विरुद्ध विभाग द्वारा राजस्थान कर बोर्ड में अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलें स्वीकार की गई।

संशोधन प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान सी.ए. ने कथन किया कि कच्चे माल के रूप में साखुत दालों को प्रयुक्त करके मुख्यतः कर योग्य दालों का निर्माण करता है, दालों के निर्माण के साथ-साथ सह उत्पाद चूरी का निर्माण होता है, जो बाई प्रोडक्ट्स है। उनका कथन है कि साखुत दालों का प्रयोग कर योग्य दालों के निर्माण हेतु किया जाता है, जबकि चूरी के निर्माण हेतु नहीं किया जाता है, इसलिए वेट अधिनियम की धारा-18 के अनुसार दालों के निर्माण में प्रयुक्त किये गये कच्चे माल साखुत दालों की खरीद पर चुकाया गया आगत कर का मुझरा (आई.टी.सी.) स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने दालों का उत्पादन 78.51 प्रतिशत माना है जबकि वास्तव में यह चना भी ही 78.61 प्रतिशत है शेष मुंग में 99.51 प्रतिशत तथा मोठ में 100 प्रतिशत है, इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इनपुट टैक्स रिवर्स को विधि विरुद्ध बताता गया। उन्होंने लिखित बहस प्रस्तुत की गई, उसका अन्तिम पैरा निम्नानुसार है :—

"Similar is the condition or trading of Moong, Moth where there was no manufacturing process was involved, which is apparently yield percentage(%)shown in written submissin lying on file. The Reverse tax applicable only on sale of exempted goods on which ITC claimed and not on shortage if any taken place in day to day trading process and/ or manufacturing process as accepted by you on the basis of illegal order of AA and rejecting the D.C.(appeals) order which was quite correct and was as per law. As there is a mistake apparent on the face of record, the same may kindly be rectified and pass rectified order as per law and fact on records."

प्रत्यक्ष विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ द्वारा चेतन मस्तिष्क का उपयोग करते हुए विधि समर्त निर्णय दिनांक 28.09.2012 पारित किया है, जिसमें रेकार्ड से कोई भूल परिलक्षित नहीं होने से निर्णय दिनांक 28.09.2012 संशोधन नहीं है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम

मवकड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 353) को उद्धृत करते हुए कथन किया कि चेतन मस्तिष्क से पारित किये गये निर्णय में संशोधन किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा निर्णय दिनांक 28.09.2012 पर मनन किया गया। अपीलर्थी व्यवहारी का मुख्य तर्क यह है कि वह कब्जे माल के रूप में साबुत दालों को प्रयुक्त करके मुख्यतः कर योग्य दालों का निर्माण करता है और दालों के निर्माण के साथ-साथ सह उत्पाद चूरी का निर्माण होता है, जो बाई प्रोडक्ट्स है। साबुत दालों का प्रयोग कर योग्य दालों के निर्माण हेतु किया जाता है जबकि चूरी के निर्माण हेतु नहीं किया जाता है। उनका यह भी कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दालों के उत्पादन(yield) 78.61 प्रतिशत माना है जबकि वास्तव में यह yield चाना में ही 78.61 प्रतिशत है शेष मूँग में 99.51 प्रतिशत तथा मोह में 100 प्रतिशत है, इसलिए अधिनियम की धारा 18 के अनुसार दालों के निर्माण में प्रयुक्त किये गये कच्चे माल साबुत दालों की खरीद पर चुकाया गया आगत कर का आई.टी.सी.मिलना चाहिए किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इनपुट टेक्स रिवर्स किया गया है।

साबुत दालों से कितनी छीजत (भूसी) निकलती है इसका प्रतिशत निकालना इस रसर पर सम्भव नहीं है और यह भूल रिकार्ड से परिलक्षित होना नहीं मानी जा सकती है किंतु भी न्याय हित में साबुत दालों से दालों का निर्माण किये जाने में भूमी कितनी प्रतिशत निकलती है इस तथ्य की जांच कर निर्धारण अधिकारी रसर पर ही की जा सकती है। अतः कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह यह जांच करें कि प्रकरण से सम्बन्धित साबुत दालों से दालें निर्माण किये जाने में कितने प्रतिशत भूसी निकलती है और जांच करने के पश्चात यदि भूसी अपीलाशी व्यवहारी द्वारा बताये अनुसार निकलती है और यदि वह नगप्य हो तो इस सीमा तक आई टी सी स्थीकार करें, और यदि भूसी कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा पूर्व पारित आदेश के अनुसार निकलती है तो उसी सीमा तक आई टी सी रिवर्स करते हुए आदेश पारित कर, एक प्रति राजस्थान कर बोर्ड को उपलब्ध करावें।

उपरोक्तानुसार संशोधन प्रार्थना पत्रों का निरक्षण किया जाता है।
निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदरम्